तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलका हुक्म में
16/4/26	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारान। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 25/4/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	
25/4/26	पत्रा. पेश। वास्ते आदेश 7/5/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	
7/5/26	पत्रा. पेश। वादी द्वारा धारा 251-A RT Act के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। वादी अपनी आराजी खसरा न. 316 ग्राम छत्रपुरा पटवार हल्का टीढ़डिया तहसील रामगंजमंडी पर पहुँचने के लिए खसरा न. 9 ग्राम खैराबाद से रास्ता माँग रहा है। इसके विपरीत प्रतिवादी का जवाब है कि वादी के पास टीढ़डिया छत्रपुरा से होते हुए पुराना रास्ता मौजूद है। 20/10/2020 को TDR रामगंजमंडी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई थी। 2021 में अद्यतित मौका रिपोर्ट खारिज Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2023 में पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर के निगरानी टी.ए. संख्या 2234/2021/कोटा निर्णय दिनांक 26/12/22 से बाद निर्णय प्राप्त हुई। निर्णय में पुन: मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रकरण का विधि सम्मत निस्तारण के आदेश दिए गए।	
	1/10/24 को पुन: मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी रीछड़िया व पटवारी बैरागढ द्वारा संयुक्त रूप से निरिक्षण किया गया। इस रिपोर्ट में भी खसरा न. 9 से ही रास्ते का उल्लेख बताया गया है।	
	17/9/2025 को पुन: मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमें पुन: खसरा न. 316 को पड़त होना व खसरा न. 9 से रास्ता दर्शाया गया है। इसके बाद प्रतिवादी ने पुन: मौका दिखाये जाने की प्रार्थना की जो 10/3/26 को खारिज कर दिया गया।	
	पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि TDR द्वारा प्रस्तुत हर रिपोर्ट में खेत को पड़त	
	Che... पीठासीन अधिकारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	होना बताया है। जो कि धारा 251-A R.T. Act की पहली condition - absolute necessity को पूर्ण करती है। TDR द्वारा प्रस्तुत हर रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ते का अभाव बताया गया है। अत: 251-A की 2nd condition भी पूर्ण होती है। अत: वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। ग्राम बैराबाद खसरा नं. 9 रकबा 2.94 है, भूमि के उत्तर पश्चिमी मेड़ से होते TDR की मौका रिपोर्ट अनुसार 15 फीट चौड़ाई में रास्ते हेतु दर्ज किया जाए। TDR रामगंजमंडी उचित कार्यवाही करे। इसके बदले वादी उतनी ही ज़मीन अपनी आराजी से प्रतिवादी को दे। रास्ता तब ही दर्ज होगा जब उतनी ज़मीन प्रतिवादी के खसरे से लगती हुई वादी प्रतिवादी को देगा। निर्णय आज 7/5/26 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Sd/- [stamp: ... अधि... रामगंजमं...]